बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227761 पटना, दिनांक 13/04/2015

ग्रा.वि.- 14(पू0)किश0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,

सचिव।

सेवा में,

श्री गुलाब चंद (1778/99),

निबंधित

।

(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेढ़ागाछ, किशनगंज)

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप टेढ़ागाछ प्रखंड (जिला-किशनगंज) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
158.88613	₹ 217674

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 158.88613 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

(प्रदीप कुमार)

सचिव

अनुलग्नक- यथोक्त।

No. [illegible] New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : ***Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.***

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will [illegible] in these identified Districts with the Employment Guarantee [illegible] NREGA [illegible] [illegible] Government of India [illegible] NFFWP and the SGRY towards NREGA [illegible]

1. If the NREGA is notified in [illegible] the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines [illegible]. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts [illegible] those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 8 of the Act allows [illegible] that State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan [illegible] SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP districts identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern [illegible] separately. [illegible] for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

ग्रामीण विकास विभाग
[illegible]

under NREGA and SGRY NFFWP. In this situation ... get more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authrization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Here, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if all 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ________/ग्रा०वि०प्र०मत्रा, दिनांक-
8 वि०वि०40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

जिला का नामः- किशनगंज

जिला परिषदः- किशनगंज

क्रम सं0		उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		श्री बटेश्वर पंडित (बि0प्र0से0)							
2		श्री के0 सेन्थिल कुमार (भा0प्र0से0)							
3		श्री विजय कुमार (बि0प्र0से0)							
4		श्री राम माँझी (बि0प्र0से0)							

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर परः-

क्रम सं0/प्रखंड		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनगंज	श्री श्यामनंदन शर्मा (1674/99)	5846.68	5714.44	132.24	181168.8	41536.9	139631.9	109132.9
		श्री पंकज कुमार गुप्ता (1541/04)							
		श्री अतुल कुमार वर्मा							
		श्री मोइजुद्दीन							
2	बहादुरगंज	श्री अजय कु0 ठाकुर (2095/99)	8408.47	6883.21	1525.26	2089606.2	400472.2	1689134	509407 7
3	दिघलबैंक	श्री विष्णुदेव प्रसाद	6084.21	6015.36	68.85	94324.5	88515	5809.5	177627
		श्री ऋषिदेव झा							
		श्री गौरी शंकर प्र0							
4	कोचाधामन	श्री अजय कु0 ठाकुर (2095/99)	12139.39	11699.46	439.93	602704.1	168610.4	434093.7	301623.7
		श्री नूर अहमद शिवली (1984/99)							
5	ठाकुरगंज	श्री सुनील कुमार (2334/99)	11897.28	11780	117.28	160673.6	219272.3	-58598.7	230273.3
		मो0 मुस्ताक अहमद							
6	पोठिया	श्री अरूण कुमार (1742/99)	9510.71	9112.33	398.38	545780.6	303749	242031.6	393812.8
7	टेढ़ागाछ	श्री मनोज कुमार	2805.05	2617.8	187.25	256532.5	149514.5	107018	217674
		श्री गुलाब चंद (1478/99)							
		TOTAL	56691.79	53822.6	2869.19	3930790.3	1371670.3	2559120	1939551.4